फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती मगनीबाई **विपक्षी : श्री राजेन्द्र कुमार**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 61/23**

जीसीएमएस : 2023/265

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 21.06.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीयां व अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 उपस्थित। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीयां द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीयां व विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार हैं। विपक्षी संख्या 1 संयुक्त खातेदारी की भूमि में जबरन विशिष्ट भू भाग पर बाहुबल से निर्माण कार्य करने पर आमादा हैं एवं वादग्रस्त भूमि में से विशिष्ट भू भाग पर कब्जा कर विक्रय करना चाहता है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि में कोई भी सहखातेदार किसी विशिष्ट भू भाग पर निर्माण कार्य कर कब्जा नहीं कर सकता तथा ना ही किसी विशिष्ट भू भाग का विक्रय कर सकता हैं क्योंकि संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का बराबर हक हिस्सा निहित हैं। यदि विपक्षी संख्या 1 बंटवाडा करने से पूर्व किसी विशिष्ट भू भाग पर बाहुबल से निर्माण कार्य कर कब्जा कर लेता है या विशिष्ट भू भाग का विक्रय कर देता है तो इससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। वादग्रस्त भूमि की प्रार्थीया खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मूल वाद तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 2703, 2712, 3969/2413 किता 3 रकबा 0.4938 हेक्टेयर भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(मनसुख राम डामोर)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	